

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा-राजस्थान ।

क्रमांक : स्था0 / 16 /

दिनांक : 22.10.2016

कार्यालय आदेश 38

मैं डॉ. प्रभात अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) सपटित नियम 64 सामान्य नियम (आपराधिक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ एवं स्पष्ट करता हूँ कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घाटोल जिला बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले The food Adulteration Act, The Essential Commodities Act, The Drugs and Cosmetics Act. कीटनाशी अधिनियम, 1968 के मामलों के साथ-साथ धारा 409, 467, 468, 471, 472 भारतीय दण्ड संहिता के मामलो का श्रवणाधिकार उक्त न्यायालयों का होगा ।

उक्त दोनों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र में उद्भूत होने वाले The food Adulteration Act, The Essential Commodities Act, The Drugs and Cosmetics Act. कीटनाशी अधिनियम, 1968 के मामलों के साथ-साथ धारा 409, 467, 468, 471, 472 भारतीय दण्ड संहिता के मामलो का श्रवणाधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा का होगा ।

शेष आपराधिक मामलों का श्रवणाधिकार पूर्व आदेशों के अनुसार संबंधित न्यायालयों का होगा ।

— 8d —

(डॉ. प्रभात अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 16 /

दिनांक : 22.10.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा / उदयपुर ।
- 2- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा / घाटोल / कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा ।
- 3- न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग बांसवाड़ा / बागीदौरा / गढी जिला बांसवाड़ा ।
- 4- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग बांसवाड़ा ।
- 5- जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ।
- 6- पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा ।
- 7- पुलिस उपाधीक्षक कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा ।
- 8- पुलिस उपाधीक्षक घाटोल जिला बांसवाड़ा ।
- 9- अध्यक्ष महोदय बार रांघ बांसवाड़ा / कुशलगढ़ / घाटोल / बागीदौरा / गढी / तलवाड़ा ।
- 10- सहायक निदेशक अभियोजन बांसवाड़ा ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)